

CNR: mp.14060010252022

... निर्णय ...

(आज दिनांक 16.11.2022 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आरक्षी केन्द्र भानपुरा के द्वारा

अनवर हुसैन उर्फ बन्नु, 810 काफ़ूर खान जाली, मुसलमान उम्र 40 वर्ष
18/0 - क्रेट लोक के पीछे भानपुरा

के विरुद्ध धारा-4(क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. अभियुक्त के विरुद्ध अधिरोपित धारा-4(क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां उसे पढ़कर सुनायी व समझायी जाने पर अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छयापूर्वक उक्त आरोपित अपराध कारित करना स्वीकार किया गया।

3. अभियुक्त की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा-4(क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की दोषसिद्धि पर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रुपये रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में उसे 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जाये।

4. प्रकरण में जप्तशुदा राशि कुल 1010 राजसात किये जाते हैं। तथा शेष संपत्ति उपयोगहीन होने से नष्ट की जाये।

5. कार्यवाही समाप्त करने का दिनांक 16.11.2022



मेरे उद्बोधन पर टाईप किया गया।

(ऋषिराज मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भानपुरा जिला मंदसौर म.प्र.